न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

शिशपाल बनाम हिन्दान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने संशोधित शीषक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व जवाब प्रार्थना पत्र दिंनाकित 30.01.2023 बाबत शिथिलता का पेश किया। जिसकी नकल वकील अप्रार्थी को दिलाई जाकर जवाब शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा जवाब दरख्वास्त पेश कर दिये जाने से वकील अप्रार्थी सख्या 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.01.2023 बाबत विधुत कनेक्शन के हद तक शिथिलता प्रदान करने हेतु पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने अवगत कराया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 821 रकबा 3.96 हैक्टर में अपने हिस्से में कृषि कार्य व निवास करता आ रहा है तथा पेयजल एंव पशुधन हेतु पानी की कमी होने पर बोरवेल करवा रखी है जिसमें विधुत कनेक्शन के लिए विधुत विभाग थोई में आवेदन कर डिमाण्ड राशि 89800/– रूपए दिनांक 28.06.2018 को जमा करवा दी गई थी। उक्त विधुत कनेक्शन को रूकवाने के लिए प्रार्थी ने न्यायालय से गलत रूप से स्थगन आदेश जारी करवा लिया। जिसमें विधुत कनेक्शन की हद तक शिथिलता प्रदान किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है। जिसकी पालना रिपोर्ट विचाराधीन है। बिना विधिक बंटवारा किये प्रत्येक पक्षकार का शामलाती भूमि में अपने हिस्सेनुसार प्रत्येक इंच इंच पर हक व अधिकार होने तथा उक्त भूमि में शामलाती बोंरिग बनाकर शामलाती विधुत कनेक्शन ले रखे होने [illegible] भू भाग पर बोरिंग करवाया गया है उस पर [illegible] नहीं दिया जा सकता। प्रकरण में प्रारम्भिक [illegible] हो जाने से ऐसी शिथिलता प्रदान किया जाना कानून [illegible] नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 18:18:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में दिनांक 23.05.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में पक्षकारान के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने हिस्से में करवाये गये बोरवेल में विधुत कनैक्शन हेतु डिमाण्ड नोट राशि 89800/– रूपए दिनांक 28.06.2018 को करवाये चार वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत शिथिलन पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एंव आम नागरिक एंव पशुओं हेतु पेयजल की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए वकील अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत शिथिलन को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2018 को जारी स्थगन आदेश में अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 821 रकबा 3.9600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर में विधुत कनेक्शन [illegible] तक शिथिलता प्रदान की जाती है। [illegible] टी.आई. पत्रावली दिनांक 20.03.2023 को [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 18:18:00 IST
Reason: SelfAttested

08/03/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)